न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारी:- ... शर्मा आर.ए.एस.

[illegible]

वादी

अर्जुनराम पुत्र श्री रूपाराम जाति जाट निवासी भैसेर चावण्डियाली तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1. श्रीमती मायड़ पत्नी श्री बालूराम
2. श्री कैलाश पुत्र श्री बालूराम
3. श्री महेन्द्र पुत्र बालूराम
4. श्री मूलाराम पुत्र बालूराम समस्त जाति जाट निवासी भैसेर चावण्डियाली तहसील तिंवरी जिला जोधपुर
5. श्री नाथूराम पुत्र श्री जटाराम
6. श्री बालाराम पुत्र श्री जटाराम जाति जाट निवासी ... तहसील ओसियां जिला जोधपुर।
7. श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री खेतसिंह
8. श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री खेतसिंह
9. प्रभुसिंह पुत्र श्री खेतसिंह
10. मंगूसिंह पुत्र श्री खेतसिंह
11. श्री भीखसिंह पुत्र श्री सोनसिंह फौत जिसके कायम मुकाम
    (1) श्री हरिसिंह पुत्र श्री भीखसिंह
    (2) श्री ओमसिंह पुत्र श्री भीखसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भैसेर चावण्डियाली तहसील तिंवरी
    (3) श्रीमती मंजुकंवर पुत्री श्री भीखसिंह पत्नी श्री नारायणसिंह जाति राजपुरोहित बावड़ी तहसील फलोदी जिला जोधपुर
    (4) श्रीमती किस्तूकंवर पुत्री श्री भीखसिंह पत्नी श्री मदनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी धोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर
    (5) श्रीमती सीताकंवर पुत्री श्री भीखसिंह पत्नी श्री देवीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी धोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर
    (6) श्रीमती देवीकंवर पत्नी श्री भीखसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भैसेर चावण्डियाली तहसील तिंवरी जिला जोधपुर
12. श्री नेनसिंह पुत्र श्री सोनसिंह फौत का.मु.
    1 श्री सुमेरसिंह पुत्र नेनसिंह
    2 श्री पुखराजसिंह पुत्र नेनसिंह
    3 श्रीमती सुगनकंवर पत्नी नेनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भैसेर चावडियाली तहसील तिंवरी
    4 कानुदेवी पुत्री नेनसिंह पत्नी उगमसिंह निवासी कनोडिया पुरोहितान बालेसर
    5 समुदेवी पुत्री नेनसिंह पत्नी अनोपसिंह निवासी कनोडिया पुरोहितान बालेसर
13. श्री गणपतसिंह पुत्र श्री

सहायक कलक्टर ... ओसियां जिला जोधपुर

Scanned with OKEN Scanner

		हुकमसिंह 14 भवरसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह 15 श्री सुखदेवसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह 16 श्री श्रवणसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह 17 श्री देवीसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह 18 श्री ओमसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह 19 श्री हडमानसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह 20 श्री नारायणसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह 21 श्री श्रवणसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह 22 श्री मदनसिंह पुत्र श्री मांगीलालसिंह समस्त जाति राजपुरोहित निवासी भैसेर चावण्डियाली तहसील तिंवरी जिला जोधपुर 23 सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

वाद संख्याः– 85/2014

उपस्थितिः–

वादी अधिवक्ताः– बंशीलाल कच्छवाहा

प्रतिवादी संख्या 1 से 4:– राजेश खिचड

प्रतिवादी संख्या 5,6:– एक पक्षीय

प्रतिवादी संख्या 7 से 10, 11(1,2),13 से 21:– चन्दनसिंह भाटी

निर्णय दिनांक 28-6-23

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा53,188 आर.टी.एक्ट के तहत जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर पेश कर निवेदन किया कि गाव भैसेर चवण्डियाली तहसील तिंवरी जिला जोधपुर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 239 रकबा 05 बीघा गै. मू. बेरा, भूमि है , खसरा नम्बर 240 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा भूमि किश्म चाही द्वितीय, खसरा संख्या 246 रकबा 07 बीघा 3 बीस्वा किश्म चाही द्वितीय कुल रकबा 16 बीघा 17 बीस्वा है। जिसकी खाता संख्या 111 है। पुरानी 108 है उक्त वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 22 संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है। जिसमें वादी का 9/40 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 प्रतिवादी संख्या 6 का 1/40 प्रतिवादी संख्या 7 से 22 का 1/4 हिस्सा है। वादी ने 9/40 हिस्से की भूमि को दो अलग–अलग बेचाननामों के जरिये खरीद की थी। इस प्रकार वादी ने कुल 3 बीघा 16 बीस्वा भूमि खरीद की थी। उक्त वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त अविभाजित भूमि है। जिसमें वादीगण अपना 9/40 हिस्सा घोषित करवाकर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन करवाना चाहता हैं। वादी अपने हिस्से कि उक्त भूमि पर हर वर्ष कि भांति इस वष दिनांक 20.6.2014 को अपने हिस्से कि भूमि पर काश्त करने लगा तो प्रतिवादी संख्या एक से बाईस ने काश्त के स्थान को लेकर विवाद करने लगे तथा वादी को काश्त करने से रोका तब वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त भूमि का अपने–अपने हिस्से अनुसार बंटवाडा कर राजस्व रेकर्ड में खाते अलग–अलग करवाने को कहा तो सभी प्रतिवादीगण ने संयुक्त भूमि का बंटवाडा करने से साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल करना चाहते है। इसीलिए विभाजन बाई मिटस एवड बाउण्डस से किये जाने कि डिकी बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से राजेश खिचड प्रतिवादी संख्या 7 से 10, 11(1,2),13 से 21 की चन्दनसिह भाटी ने वकालातनाम पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5,6 के विरूद्व दिनांक 17.4.2018 को एक पक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई। दिनांक 23.8.2022 को वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की सहमति से प्राथमिक डिकी जारी की गई एवं तहसीलदार तिंवरी से बंटवाडा प्रस्ताव पत्रांक 275 दिनांक 27.2.2023 का प्राप्त हुआ। पत्रावली में नियत तिथि दिनांक 5.9.2023 थी वादी अधिवक्ता ने शिघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पर पत्रावली में दिनांक 28.6.2023 नियत की गई।

बहस सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अतिंम डिकी जारी करवाने हेतु सहमति जाहिर की है। सहमति बाबत् वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर किये गये।

आदेश दिनांक 28-6-23

वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की सहमति से वादपत्र स्वीकार किया जाता हैं गाव भैसेर चवण्डियाली तहसील तिंवरी जिला जोधपुर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 239 रकबा 05 बीघा , खसरा नम्बर 240 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 246 रकबा 07 बीघा 3 बीस्वा भूमि बाबत् तहसीलदार तिंवरी से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पत्रांक 275 दिनांक 27.2.2023 को निर्णय का अभिन्न भाग समझा जावे। तदनुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है। तहसीलदार

Scanned with OKEN Scanner

तिंवरी को आदेश दिया जाता हैं कि बंटवाडा प्रस्ताव पत्रांक 275 दिनांक 27.2.2023 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।
निर्णय पालनार्थ तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/6/23 को खुले इजलास सुनाया गया।

राजीव शर्मा
सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी ओसियां